राजस्थान सरकार

(कायदा – 129)

2024/439

जनरल रूल्स सिविल रूल्स 129 अपेन्डेंक्स फार्म नंबर 8 के

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बिजौलिया जिला – भीलवाड़ा (राज.)

किस्म मुकदमा 1	नंबर मुकदमा 2	तारीख दायर 3	तारीख फैसला 4	पेशी दिनांक 5
111-128 प्रार्थना-पत्र	272/24	7/11/24		14/11/24 21/11/24

अनवान

श्री हिमांशु पाण्डेय पुत्र ऋतुराज श्री ऋतुराज पाण्डेय पुत्र प्रसेनजीत

निवासी बिजोलियाँ निवासी बिजोलियाँ

अधिवक्ता वादी / प्रार्थी /अपीलान्ट अधिवक्ता प्रतिवादी / विपक्षी/ रेस्पोडेंट

डिक्रीदार मदयून

श्री घनश्याम धाकड़ श्री ....

FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम ...)

... उपखण्ड अधिकारी मुकाम बिजौलियां

हिमांशु पाण्डेय बनाम नेहरूराम पाण्डेय

किस्म मुकदमा 111-128 नम्बर 272/2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
...7/11	प्रार्थना पत्र सीग से बाद जांच पेश हुआ। प्रार्थना पत्र दर्ज ... किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस मय नकल प्रार्थना पत्र जारी ... पत्रावली जवाब दिनांक 14/11/2024 को पेश उपखण्ड अधिकारी बिजौलियां	तामील प्राप्त
14/11/24	पत्रावली पेश हुई अभिभाषक वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान् P.O सा. दौरे पर हैं। प्रत्रावली दिनांक 21/11/24 को वास्ते तामील पेश हो। प्राप्त उप खण्ड अधिकारी	
21/11/24	पत्रावली पेश हुई विपक्षी की बाद तामील प्राप्त हुई जिसे शामिल पत्रावली किया गया। विपक्षी बाद सूचना अनुपस्थित। विपक्षी को 3-बार आवाज लगाई गई परन्तु कोई उपस्थित नहीं हुआ। विपक्षी के विरुद्ध एक-पक्षीय आदेश पारित किए गए। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। उप खण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)

प्रकरण संख्या :– 272/24

तारीख दायर 7/11/24

P. 21/11/24

हिमांशु पाण्डेय पुत्र ऋतुराज पाण्डेय जाति ब्राह्मण उम्र वयस्क निवासी बिजौलियां तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा (राज.)

......................प्रार्थी

बनाम

ऋतुराज पाण्डेय पुत्र **प्रसेनजीत पाण्डेय जाति ब्राह्मण** उम्र वयस्क निवासी बिजौलियां कलां तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)

................विपक्षी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 – 128 रा0ले0रे0एक्ट

–: आदेश :–

दिनांक 21/11/24

प्रार्थना पत्र प्रार्थी ने जरिये अभिभाषक **श्री ~~मुकेश कुमार~~ घनश्याम धाकड़ एडवोकेट** प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खातेदारी भूमि है विपक्षी आये दिन सीमा विवाद को लेकर झगडा करते है। अतः पत्थरगढ़ी का आदेश प्रदान कराया जावें साथ में प्रार्थना पत्र की ताईद में शपथपत्र संलग्न है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर करवाया गया। प्रस्तुत पत्रावली पर विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गई और पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली में संलग्न जमाबन्दी सम्वत 2073–2076 के अवलोकन से प्रार्थी वादग्रस्त आराजीयात का खातेदार काश्तकार है। पड़ौसियान के विवाद करने बाबत् शपथपत्र संलग्न है। पत्थरगढ़ी से किसी के स्वत्व पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है। भू–अभिलेख निरीक्षक **उमाजी का खेड़ा** को पत्थरगढ़ी बाबत् कमिश्नर नियुक्त किया जाता हैं।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 राजस्थान लेण्ड रेकार्ड एक्ट स्वीकार किया जाकर **मौजा ग्राम फतहपुरा पटवार हल्का उमाजी का खेड़ा तहसील बिजौलियाँ की सरहद में खाता संख्या 134 पर अंकित आराजी संख्या 421/410 रकबा 0.0405 हैक्टेयर भूमि** बशामलात पड़ौसियान के पत्थरगढ़ी करने हेतु आदेशित किया जाता है एवं पत्थरगढ़ी शुल्क राशि 100 /– रूपये राजकोष में जमा होने पर पालनार्थ तहसीलदार बिजौलियाँ को लिखा जावें।

प्रार्थना पत्र निर्णित होकर नम्बर से खारिज हो आदेश सुनाया गया

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला–भीलवाड़ा सत्यमेव जयते

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियां

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला–भीलवाड़ा